



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21012021-224625
CG-MH-E-21012021-224625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2021/माघ 1, 1942

No. 40]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2021/MAGHA 1, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 जनवरी, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/07.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, -
 - (1) विनियम 25 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् :-
"जाँच करना

25. (1) जिस व्यक्ति के खिलाफ जाँच शुरू की गई हो, उस व्यक्ति को पदाभिहित प्राधिकारी (डेसिग्रेटेड अथॉरिटी) सूचना (नोटिस) जारी करेगा, ताकि वह व्यक्ति यह कारण बताए कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने का विचार किया जा रहा है उसकी सिफारिश क्यों न की जाए।

(2) नोटिसी से, सूचना (नोटिस) में निर्धारित की जाने वाली अवधि (जो उसकी तामील होने की तारीख से इक्कीस दिनों से अधिक की न हो) के भीतर, सूचना (नोटिस) का लिखित जवाब (इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित जवाब के समर्थन में यदि कोई दस्तावेजी सूबत हो, तो उसके साथ) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी:

परंतु यह कि पदाभिहित प्राधिकारी, नोटिसी द्वारा पर्याप्त आधार दिए जाने पर और लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद, सूचना (नोटिस) में निर्धारित की गई समयावधि को बढ़ा सकेगा।

(3) उप-विनियम (1) के तहत जारी की गई प्रत्येक सूचना (नोटिस) में नोटिसी द्वारा किए गए कथित उल्लंघन का उल्लेख किया जाएगा, और साथ ही प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित उन कानूनी प्रावधानों [प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के प्रावधानों] अथवा बोर्ड के उस निदेश या आदेश का भी उल्लेख किया जाएगा जिसका कथित तौर पर उल्लंघन किया गया हो।

(4) उप-विनियम (1) के तहत जारी की गई सूचना (नोटिस) के साथ उन दस्तावेजों की प्रतियाँ भी लगाई जाएँगी जिनके आधार पर बोर्ड द्वारा सूचना (नोटिस) जारी की जा रही हो और साथ ही उन रिपोर्टों के संबंधित हिस्सों के अंश भी लगाए जाएँगे जिनमें किसी जाँच, अन्वेषण (तहकीकात / इन्वेस्टिगेशन) या निरीक्षण, यदि कोई हो, के निष्कर्षों का जिक्र किया गया हो।

(5) यदि नोटिसी उप-विनियम (2) के अनुसार निर्धारित की गई अवधि के भीतर ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की मांग करता है और पदाभिहित प्राधिकारी की राय में इसकी मंजूरी दी जा सकती हो, तो ऐसे में पदाभिहित प्राधिकारी दस्तावेजों के निरीक्षण की तारीख तय करते हुए सूचना (नोटिस) जारी कर सकेगा या करवा सकेगा:

परंतु यह कि दस्तावेजों के निरीक्षण की तारीख ऐसा निवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर की होगी।

(6) पदाभिहित प्राधिकारी व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और नोटिसी की सुनवाई की तारीख तय करते हुए सूचना (नोटिस) जारी करेगा या करवाएगा:

परंतु यह कि जिन मामलों में नोटिसी ने कथित तौर पर संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण फीस या कोई दूसरी लागू फीस अदा करने में असफल रहा हो या फिर नोटिसी को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला / विलफुल डिफॉल्टर) या भगोड़ा आर्थिक अपराधी (फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर) घोषित किया गया हो, उन मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा।

(7) यदि नोटिसी उप-विनियम (1) के तहत जारी की गई सूचना (नोटिस) का जवाब न दे या फिर सुनवाई की तय तारीख को हाजिर होने में असफल रहे और पदाभिहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि नोटिसी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, तो ऐसे में पदाभिहित प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर कार्यवाहियाँ पूरी कर सकेगा, हालाँकि ऐसा करने से पहले वह ऐसा करने के कारणों को दर्ज करेगा।"

(II) विनियम 26 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् :-

"कार्रवाई की सिफारिश करना

26. (1) रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री और जवाब, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, पदाभिहित प्राधिकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगा,-

- (i) कोई प्रतिकूल कार्रवाई किए बिना कार्यवाहियाँ पूरी करने की;
- (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने की;

- (iii) एक निश्चित अवधि तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करने की;
- (iv) नोटिसी को यथा निर्धारित अवधि तक कोई नया कार्य आदि हाथ में लेने या करार आदि करने या नई स्कीम शुरू करने से प्रतिषिद्ध करने की;
- (v) नोटिसी के किसी अधिकारी को किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ यथा निर्धारित अवधि तक कार्य आदि करने या उससे जुड़ने से विवर्जित करने की;
- (vi) नोटिसी की किसी शाखा या उसके किसी कार्यालय को यथा निर्धारित अवधि तक कार्य आदि करने से विवर्जित करने की;
- (vii) नोटिसी को विनियामक परिनिंदा (रेग्यूलेटरी सेन्शर) जारी करने की:

परंतु यह कि इन विनियमों के तहत, एक ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में पाँच से अधिक विनियामक परिनिंदा (रेग्यूलेटरी सेन्शर) जारी करने की सिफारिश नहीं की जा सकेगी, उसके बाद इस उप-विनियम के खंड (ii) से खंड (vi) के तहत उल्लिखित कार्रवाई पर विचार किया जा सकेगा।

(2) पदाभिहित प्राधिकारी नोटिस का जवाब प्राप्त होने की तारीख या व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख (जो भी बाद की हो) से एक सौ बीस दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा।"

(III) विनियम 27 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् :-

"आदेश

27. (1) जिस रिपोर्ट में पदाभिहित प्राधिकारी की सिफारिश (कार्रवाईयों के संबंध में) का उल्लेख हो वह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, पदाभिहित सदस्य पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति भिजवाएगा और नोटिसी से यह अपेक्षा करेगा कि वह लिखित रूप में अपना जवाब आदि दे कि पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा जिन कार्रवाईयों की सिफारिश की गई है वे कार्रवाईयाँ या इन विनियमों के अनुसार कोई अन्य कार्रवाई (जिस पर विचार किया जा रहा है) क्यों न की जाए।

(2) नोटिसी, सूचना (नोटिस) में यथा निर्धारित अवधि (जो उसकी तामील होने की तारीख से इक्कीस दिनों से अधिक की न हो) के भीतर, लिखित जवाब आदि (इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित जवाब आदि के समर्थन में यदि कोई दस्तावेजी सूबत हो, तो उसके साथ) प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि नोटिसी के निवेदन पर, पदाभिहित सदस्य, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, सूचना (नोटिस) का जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित की गई समयवधि को बढ़वा सकेगा।

(3) नोटिसी के जवाब आदि पर विचार करने के बाद, पदाभिहित सदस्य यदि ठीक समझे, तो कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, मामले को पदाभिहित प्राधिकारी के यहाँ फिर से जाँच करने या आगे और जाँच करने तथा रिपोर्ट फिर से प्रस्तुत करने के लिए भिजवा सकेगा।

(4) जिस मामले में पदाभिहित प्राधिकारी ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने की सिफारिश की हो या फिर पदाभिहित सदस्य की पहली नज़र में यह राय हो कि इस मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करना ही उचित रहेगा, उस मामले में पदाभिहित सदस्य व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण: - यदि न तो पदाभिहित प्राधिकारी ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने की सिफारिश की हो और न ही पदाभिहित सदस्य की पहली नज़र में यह राय हो कि इस मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करना ही उचित रहेगा, तो ऐसे में पदाभिहित सदस्य के लिए नोटिसी को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान करना जरूरी नहीं होगा।

(5) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री और लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए जवाब आदि, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, पदाभिहित सदस्य उप-विनियम (2) के तहत जवाब आदि प्राप्त होने

की तारीख या व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख (जो भी बाद की हो) से एक सौ बीस दिनों के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करने का प्रयास करेगा।"

(IV) विनियम 28 का लोप हो जाएगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./474/2020-21]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538 द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-
 - क. 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
 - ख. 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
 - ग. 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
 - घ. 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा
 - ङ. 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा
 - च. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st January, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, -

(I) The regulation 25, shall be substituted by the following, namely: –

“Holding of enquiry

25. (1) The designated authority shall issue a notice to a person against whom an enquiry has been initiated, to show cause as to why the action, as contemplated against such person should not be recommended.

(2) The noticee shall be called upon to submit, within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written reply to the notice, along with documentary evidence, if any, in support of such written reply:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons in writing.

(3) Every notice issued under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee by indicating the provisions of the securities laws or the direction or the order of the Board alleged to have been contravened.

(4) There shall be annexed to the notice issued under sub- regulation (1), copies of documents relied upon by the Board along with the extracts of relevant portions of the reports containing the findings arrived at in an inquiry, investigation or inspection, if any.

(5) If the noticee demands inspection of such documents within the period specified in sub-regulation (2) and the designated authority is of the opinion that the same may be granted, then the designated authority may issue or cause to issue a notice fixing a date for inspection of documents:

Provided that the date for inspection of documents shall be within thirty days from the date of receipt of such request.

(6) The designated authority shall grant an opportunity of personal hearing and issue or cause to issue a notice scheduling a date for hearing the notice:

Provided that no opportunity of personal hearing may be granted in the cases where the noticee is alleged to have failed to pay the registration fee or any other applicable fees to the Board as per the provisions of the relevant regulations or the noticee has been declared a wilful defaulter or a fugitive economic offender.

(7) If the noticee does not reply to the notice issued under sub-regulation (1) or fails to appear on the scheduled date of hearing and the designated authority is satisfied that sufficient opportunity has been given to the noticee, the designated authority may conclude the proceedings after recording the reasons for doing so, on the basis of the material available on record.”

(II) The regulation 26, shall be substituted by the following, namely:-

“Recommendation of action

26. (1) After considering the material available on record and the reply, if any, the designated authority may by way of a report, recommend the following measures,—

(i) disposing of the proceedings without any adverse action;

(ii) cancellation of the certificate of registration;

(iii) suspension of the certificate of registration for a specified period;

(iv) prohibition of the noticee from taking up any new assignment or contract or launching a new scheme for such the period as may be specified;

(v) debarment of an officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary or other person associated with the securities market for such period as may be specified;

(vi) debarment of a branch or an office of the noticee from carrying out activities for such period as may be specified;

(vii) issuance of a regulatory censure to the noticee:

Provided that in respect of the same certificate of registration, not more than five regulatory censures under these regulations may be recommended to be issued, thereafter, the action as detailed in clause (ii) to (vi) of this sub-regulation may be considered.

(2) The designated authority shall endeavour to submit the report within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply to the notice or date of personal hearing, whichever is later.”

(III) The regulation 27, shall be substituted by the following, namely,-

“Order

27. (1) On receipt of the report containing the measures recommended by the designated authority, the designated member shall cause to forward a copy of the report submitted by the designated authority and call upon the noticee to make its submission, in writing, as to why the measures recommended by the designated authority or any other action as contemplated in these regulations, should not be taken.

(2) The noticee shall submit, within a period as specified in the notice, but not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written submission, along with documentary evidence, if any, in support of the written submission:

Provided that upon the request of the noticee, the designated member, after recording reasons, in writing may cause to extend the time specified for submitting reply to the notice.

(3) After considering the submission of the noticee, the designated member may if deemed fit, for reasons to be recorded by it in writing, remit the matter to the designated authority to enquire afresh or to further enquire and resubmit the report.

(4) The designated member may grant an opportunity of personal hearing where the designated authority has recommended cancellation of certificate of registration or the designated member is of the *prima facie* view that it is a fit case for cancellation of certificate of registration.

Explanation: – It shall not be necessary for the designated member to give the noticee any opportunity of personal hearing if neither the designated authority has recommended cancellation of certificate of registration nor the designated member is of the *prima facie* view that it is a fit case for cancellation of certificate of registration.

(5) After considering the facts and circumstances of the case, material on record and the written submission, if any, the designated member shall endeavor to pass an appropriate order within one hundred and twenty days from the date of receipt of submissions under sub-regulation (2) or the date of personal hearing, whichever is later.”

(IV) The regulation 28, shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./474/2020-21]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on:-

- a. August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
- b. July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
- c. January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
- d. May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.
- e. November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.
- f. April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.